न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
24 / 2023	17 / 03 / 2022	3/ 7 / 2023

1. ओमप्रकाश आयु 59 साल पुत्र मथुरालाल जाति महाजन निवासी ककरावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास देवपुरा जिला बूंदी
2. शंकुलता आयु 53 साल पुत्री मथुरालाल पत्नि महावीर जाति महाजन निवासी ककरावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास हिण्डोली बूंदी राज0

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

यह कि वाद पत्र से संबंधित ग्राम सीनोता तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 657 रकबा 4.33है0, कुल 1 किता की 4.33 है0, तथा ग्राम ककरावदा तह0 पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 468 रकबा 3.63 है0, कुल 1 किता की 3.63 है0, कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद प. में विवादित भूमि से संबोधित की गई है। उक्त भूमि वादीगण की कदीमी पैतृक भूमि है। वादीगण का नाम औमप्रकाश, शकुंतला के स्थान पर प्रकाशचंद तथा सुगना अंकित कर दिया गया जबकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में वादीगण का नाम ओमप्रकाश, शंकुतला ही अंकित है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादीगण को भारी परेशारी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे परिशुद्ध किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम प्रकाशचंद, सुगना के स्थान पर ओमप्रकाश, शंकुतला अंकित करवाने का विधिक अधिकारी है।

यह कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। इस परिस्थिति में वादी के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोश उपलब्ध नहीं है।

यह कि प्रस्तुत वाद में राज0 सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू–धार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने के लिए धारा 80 दी0प्र0सं0 प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादी को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वाद की

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80(2) दी0प्र0स0 का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 03.03.2023 वादी कम 1 द्वारा प्रतिवादी से ऊपरवर्णित त्रुटि परिशुद्ध करने बाबत निवदेन किया तो शासन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में, विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवं डिकी पारित करने की कृपा करें:-

यह कि ग्राम सीनोता तह0 पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 657 रकबा 4.33है0, कुल किता 1 की 4.33है0, तथा ग्राम ककरावदा तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 468 रकबा 3.63है0, कुल 1 किता की 3.63 है0 कृषि भूमि पर वादीगण का नाम प्रकाशचंद, सुगना के स्थान पर ओमप्रकाश, शंकुतला अंकित कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये समन्न की गई। पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के तहत आयोजित केम्प ग्राम पंचायत ककरावदा में पेश हुई। प्रकरण के संबध में केम्प के दौरान मजमेआम में जानकारी की गई। केम्प के दौरान ही विवादित आराजीयात् में सहखातेदार द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में वादी का नाम संशोधित किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया। केम्प में उपस्थित होने वाले प्रार्थीगणों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप केम्प मे ही राहत प्रदान करने के मध्यनजर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सीनोता तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 657 रकबा 4.33 है0, कुल 1 किता की 4.33 है0, तथा ग्राम ककरावदा तह0 पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 468 रकबा 3.63 है0, कुल 1 किता की 3.63 है0, कृषि भूमि पर वादीगण का नाम प्रकाशचंद, स्थान पर ओमप्रकाश व सुगना के स्थान पर, शंकुतला अंकित कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किये जाते है। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

1. ओमप्रकाश आयु 59 साल पुत्र मथुरालाल जाति महाजन निवासी ककरावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास देवपुरा जिला बूंदी
2. शंकुलता आयु 53 साल पुत्री मथुरालाल पत्नि महावीर जाति महाजन निवासी ककरावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास हिण्डोली बूंदी राज0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री राजेन्द्र मीना एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम सीनोता तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 657 रकबा 4.33 है0, कुल 1 किता की 4.33 है0, तथा ग्राम ककरावदा तह0 पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 468 रकबा 3.63 है0, कुल 1 किता की 3.63 है0, कृषि भूमि पर वादीगण का नाम प्रकाशचंद, के स्थान पर ओमप्रकाश व सुगना के स्थान पर, शंकुतला अंकित कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किये जाते है।

विवादित आराजीयात् पर रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी मुर्तिब की जावे।

डिकी मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 03/07/2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा